



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 19]
No. 19]दिल्ली, मई 13—मई 19, 2011, बृहस्पतिवार/वैशाख 23—वैशाख 29, 1933
DELHI, MAY 13—MAY 19, 2011, THURSDAY/VAISAKHA 23—VAISAKHA 29, 1933[रा.रा.रा.क्ष.दि. सं. 34, 37]
[N.C.T.D. No. 34, 37]

भाग—IV

PART—IV

भाग—I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 2 मई, 2011

सं. फा. 10 (1695)/मु.स. (मुख्य)/स.शु./12206.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मैनदिन रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स मैनेजमेंट प्रा. लि., 84ई, सी-6 लेन, आॉफ सेन्ट्रल ऐवेन्यु, सैनिक फॉर्मस, नई दिल्ली-110 062, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों की पृथक संख्या 1,00,001 से 2,00,000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,000 (रुपये एक हजार) के बराबर के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY**ORDER**

Delhi, the 2nd May, 2011

F. No. 10(1695)/COS(HQ)/Cons. Duty/12206.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mandarin Resorts and Hotels Management Pvt.Ltd., 84E, C-6 Lane, Off Central Avenue, Sainik Farms, New Delhi-110 062 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,000 (Rs. One Thousand only) on the aggregate value of shares of ₹ 10,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 1,00,001 to 2,00,000 to be issued by the said company.

By Order
of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
R.K. MISRA, Spl. Inspector General (Regn.)